भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

R.20000 INDIA NON JUDICIAL R.20000

03CC 304753

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	:	रु0 6,64,400/-
बाजारू मूल्य	:	रु0 2,65,500/-
स्टाम्प शुल्क	:	रु0 56,500/-
परगना	:	बिजनौर

यह विक्रय विलेख पंकज पुत्र श्री छोटे लाल, श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व0 छोटेलाल व पवन कुमार पुत्र प्यारे लाल, निवासी ग्राम युसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 304734

-2-

बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् रंजीत पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी– –254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा नं0 47 रकबा 0.155 हेक्टेअर, खसरा नं0 48 रकबा 0.124 हेक्टेअर, खसरा नं0 49 रकबा 0.101 हेक्टेअर, खसरा नं0 252ग रकबा 0.063 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.443 हेक्टेअर के 2/3 भाग अर्थात 0.295 हेक्टेअर, स्थित ग्राम शकुर नगर एवं बनियाखेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील

[illegible] ভোটার, [illegible]

[illegible] ——————————— [illegible]

[illegible] ——————————— [illegible]

[illegible] ——————————— [illegible]

[illegible] ——————————— [illegible]

[illegible] ———————————

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] শ্রী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28-12-07

[illegible]

28-12-07

₹15000 भारतीय गैर न्यायिक ₹15000

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हज़ार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 31 व 32 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। खतौनी क्रम संख्या-31 के अनुसार छोटेलाल पुत्र भैयाजी के स्थान पर पंकज पुत्र छोटेलाल व श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व० छोटेलाल का नाम वरासतन दर्ज है। विक्रेतागण अपनी कुल भूमि अंश को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 5,54,480/- (पाँच लाख चौवन हजार चार सौ अस्सी रूपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस

विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहां स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से

जरिये अदालत वसूल कर ले। उक्त स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगा, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सुल्तानपुर उर्फ हसियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 9,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.295 हेक्टेयर की मालियत रु0 2,65,500/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 55,500/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस

विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 47 रकबा 0.155 हेक्टेअर, खसरा नं0 48 रकबा 0.124 हेक्टेअर, खसरा नं0 49 रकबा 0.101 हेक्टेअर, खसरा नं0 252स रकबा 0.063 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.443 हेक्टेअर के 2/3 भाग अर्थात 0.295 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ गोमियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 47 रकबा 0.155 हेक्टेअर

पूरब : खसरा संख्या-48

पश्चिम: खसरा संख्या-45

उत्तर : खसरा संख्या-49

दक्षिण : खसरा संख्या-46

खसरा नं0 48 रकबा 0.124 हेक्टेअर

पूरब : खसरा संख्या- 64

पश्चिम: खसरा संख्या- 49 व 47

उत्तर : खसरा संख्या-53 व 50

दक्षिण : खसरा संख्या-46

<u>खसरा नं० 49 रकबा 0.101 हेक्टेयर</u>

पूरब : खसरा संख्या-48

पश्चिम: खसरा संख्या-43

उत्तर : खसरा संख्या-50

दक्षिण : खसरा संख्या-47

<u>खसरा नं० 252स रकबा 0.063 हेक्टेयर</u>

पूरब : खसरा संख्या-253, 255

पश्चिम: खसरा संख्या-251

उत्तर : खसरा संख्या-784, 785

दक्षिण : खसरा संख्या-254

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रु० 5,54,480/- (पाँच लाख चौवन हजार चार सौ अस्सी रुपया) क्रेता से द्वारा बियरर चेक प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मनकी

पत्र में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 28.12.2004
गवाह
1.
2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(अनुज शुक्ला)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील व

जिला – [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

रकबा –

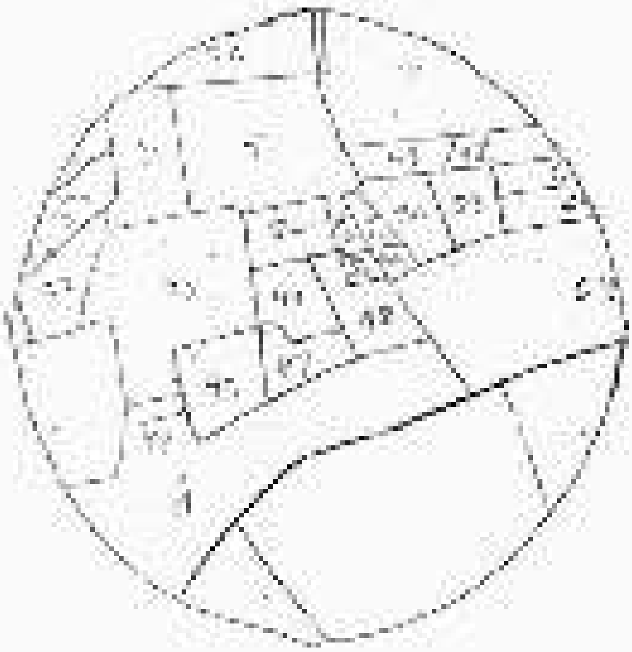

विक्रेता

क्रेता

ग्राम परगना तहसील व जिला

खसरा संख्या

रकबा

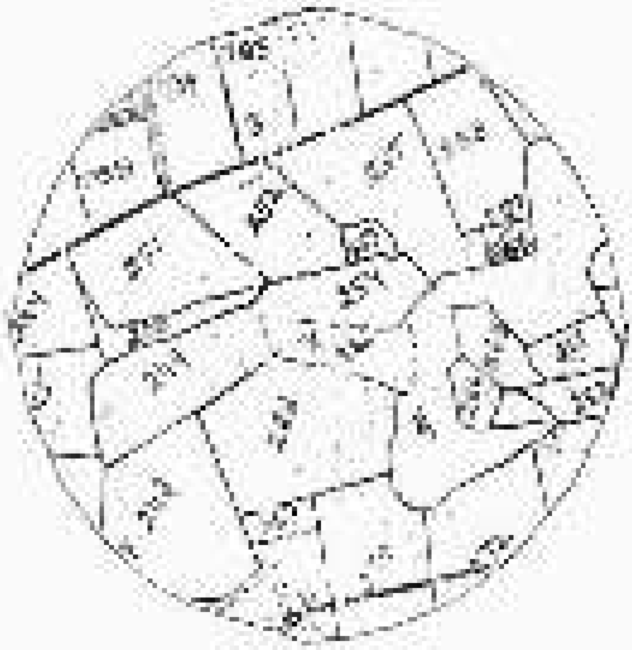

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

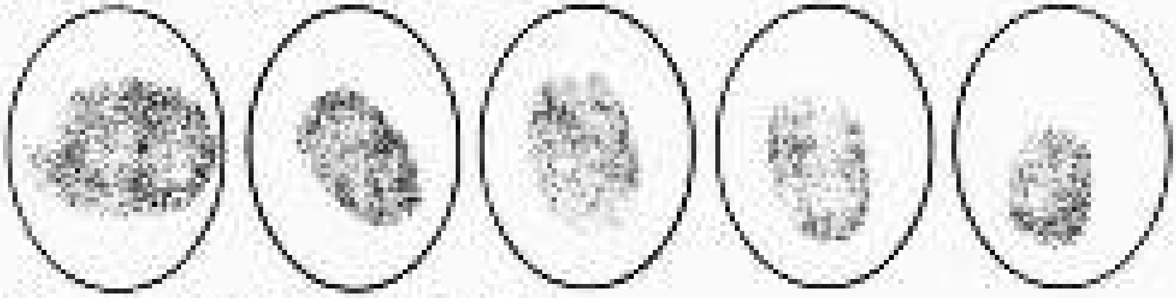

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

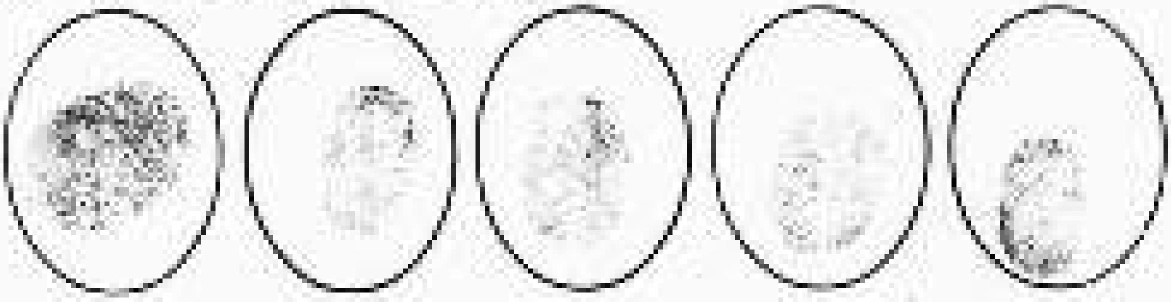

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

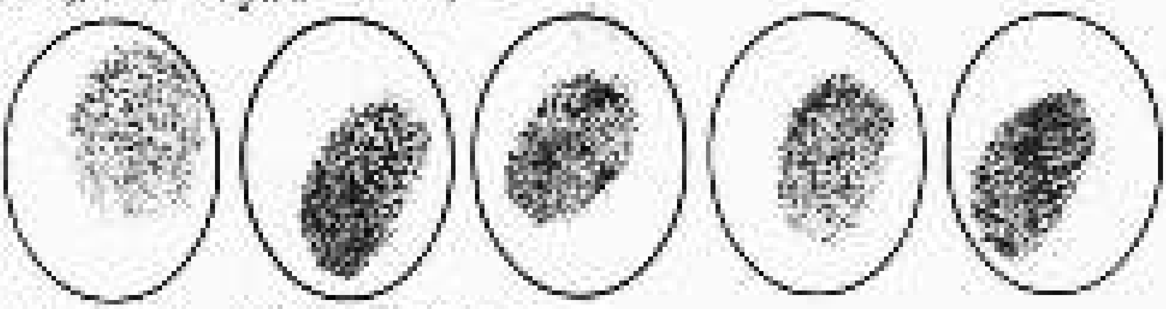

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

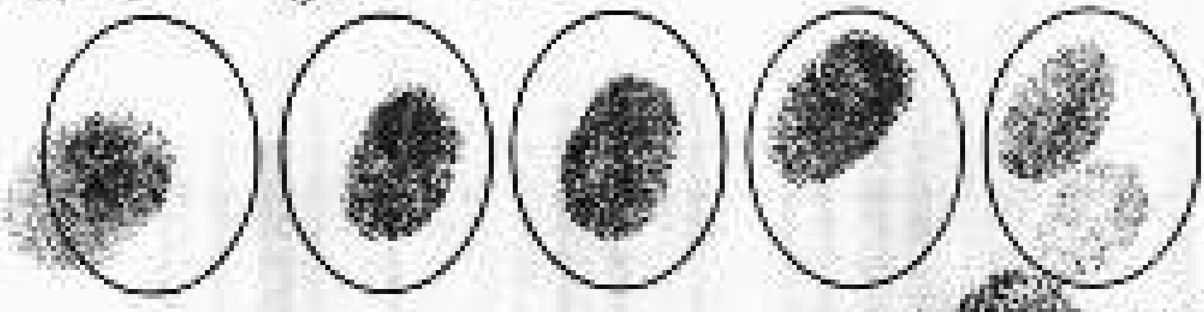

क्रेता हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

पक्षकार/विक्रेता का नाम व पता :— पवन कुमार
[illegible]
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

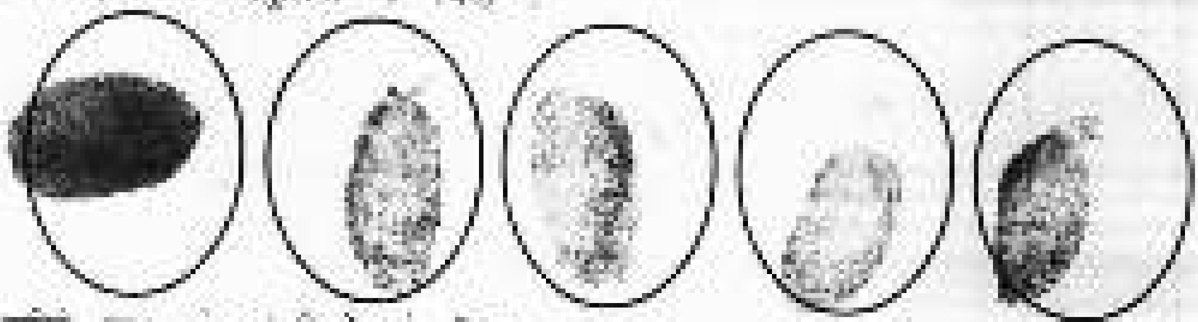

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

पक्षकार/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
[illegible]

पक्षकार/विक्रेता का नाम व पता :— [illegible]
[illegible]
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

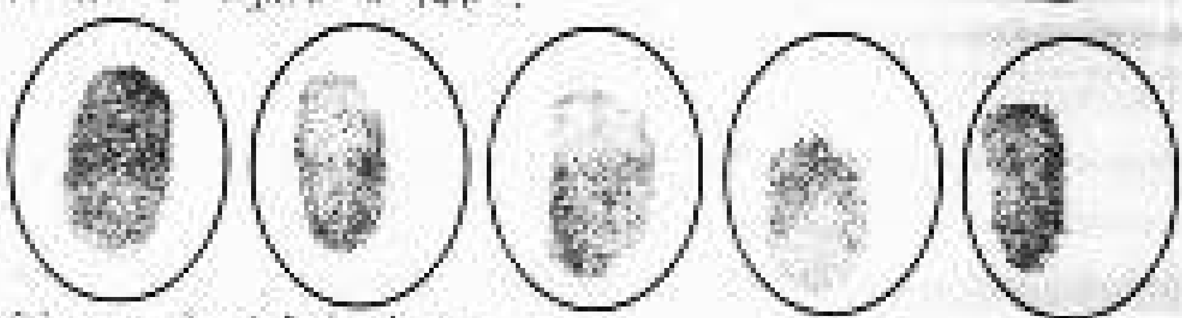

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

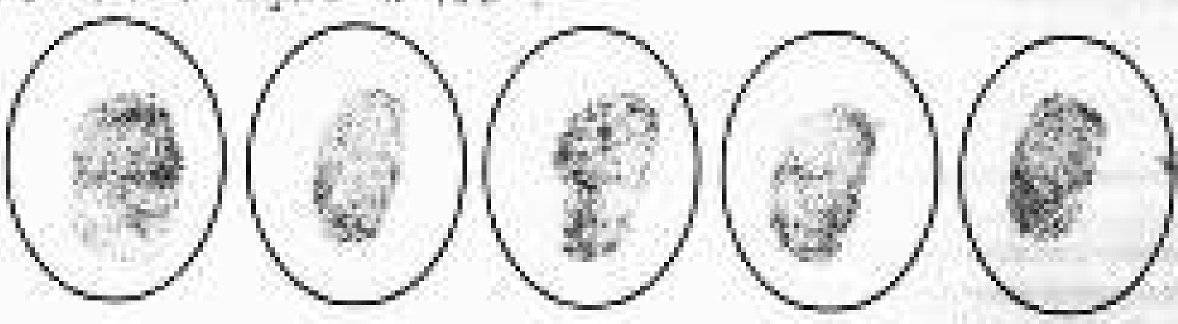

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
[illegible]

[illegible] 30/12/14
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

উপ নিবন্ধক [illegible]